

जमना देवी बनाम शान्ति देवी वगैरा

केसम् मुकदमा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र नम्बर 85/2021 सन् 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुए

21
प्रार्थीया की ओर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो अधिवक्ता प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 253 रकबा 0.8741 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 1.1250 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261/1 रकबा 0.8417 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 266 रकबा 1.1088 हैक्टेयर मौजा ग्राम बारा खुर्द, तहसील ओसियां जिला जोधपुर प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी व हक अधिकार तथा कब्जा काश्त सुदा भूमि है जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है। जिस पर प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 सामलाती कब्जा काश्त है जिनके मध्य कब्जे को लेकर विवाद हुआ है तथा वर्तमान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य कब्जे को लेकर विवाद है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

अतः अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 254 रकबा 1.1250 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261/1 रकबा 0.8417 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 266 रकबा 1.1088 हैक्टेयर मौजा ग्राम बारा खुर्द, तहसील ओसियां जिला जोधपुर के बाबत् आगामी तारीख पेश तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें किसी प्रकार से बेचान हस्तान्तरण नहीं करें।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते ईन्तजार तलबी हेतु दिनांक 20/9/2021 को पेश हो

